

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

दांडिक प्रकरण कं.-10/16
संस्थापित दिनांक-19.01.2016
filling number 235103000502016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- हरीसिंह पुत्र हरप्रसाद लोधी उम्र 55 साल निवासी- ग्राम देवलखो चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपी

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 19.07.2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 190 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 10.11.2015 को समय करीब 16:00 बजे थाना चंदेरी से उत्तर पश्चिम 13 कि.मी. में स्थित देवल खो में लोकस्थान पर फरियादी बलराम को लोकस्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी बलराम के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 19.07.2017 फरियादी एवं अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्त हरीसिंह को भा.द.वि की धारा 294, 323 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी बलराम ने अपने पड़ौसी धर्मलाल के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 10.11.2015 को वह उज्जैन से मजदूरी करके अपने घर वापस आया था, कल शाम 4 बजे करीब की बात है कि वह अपने घर के बाहर बैठा था तभी उनके गाँव का हरीसिंह लोधी आया और उससे बोला तू उज्जैन से खूब पैसे कमाकर लाया है चल दारू पीते है, उसने दारू पिलाने से मना कर दिया तो हरीसिंह उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा, उसने गाली देने से मना किया और कहा ये उसके पैसे है वह अपने बच्चो के लिये कमाकर लाया है तो इसी बात पर हरीसिंह ने उसे डण्डे से मारा जो दाहिनी आंख के

उपर माथे पर लगा, चोट होकर खून निकला और दूसरा डण्डा बाएं हाथ के दडा में लगा मुंदी चोट आई और पीठ में मुंदी चोट आई। घटना के समय उसकी मां मुन्नीबाई और अनेक सिंह लोधी ने बचाया था। आरोपी बोल रहा था कि अगर रिपोर्ट करने गया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05. राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि:-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.11.2015 को समय करीब 16:00 बजे थाना चंदेरी से उत्तर पश्चिम 13 कि.मी. में स्थित देवल खो में लोकस्थान पर फरियादी बलराम को लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।
----	---

06. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी बलराम अ0सा0 03 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया गया कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना करीब डेड 2 साल पहले की होकर शाम को 5 बजे की है। घटना दिनांक को हरिसिंह से उसका बाद विवाद हो गया था और आरोपी के साथ उसकी धक्का मुक्की हो गई थी, धक्का मुक्की में गिर जाने से उसे दाहिनी आंख के उपर चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में बलराम अ0सा03 द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना का मानचित्र प्र. पी. 4 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07. अभियोजन अधिकारी द्वारा फरियादी बलराम अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि हरिसिंह ने उसे डण्डे से मारा था जो दाहिनी आंख के उपर माथे पर चोट होकर खून निकल आया था। इस बात से इंकार किया कि दूसरा डण्डा बांये हाथ के दडा में

लगा था मुंदी चोट आई थी। इस बात से इंकार किया कि घटना के समय उसकी मां मुन्नीबाई व अनेक सिंह लोधी मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी थी और उसे बचाया था। बलराम अ0सा03 ने इस बात से इंकार किया कि उससे हरिसिंह बोला था कि अगर रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.3 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 5 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी से स्वेच्छया उसका राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा होने के कारण में न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी अनेक सिंह लोधी अ0सा01 एवं धर्मलाल ओझा अ0सा02 द्वारा आरोपी हरीसिंह को जानना व्यक्त किया परन्तु घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी अनेक सिंह अ0सा01, धर्मलाल अ0सा02 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09. इस प्रकार प्रकरण के फरियादी/आहत बलराम अ0सा03 एवं अनेक सिंह अ0सा01, धर्मलाल अ0सा02 ने भी अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया एवं प्रकरण में किसी भी प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य के आभाव में अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त हरिसिंह दिनांक 10.11.2015 को समय करीब 16:00 बजे थाना चंदेरी से उत्तर पश्चिम 13 कि.मी. में स्थित देवल खो में लोकस्थान पर फरियादी बलराम को लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।

10. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त हरीसिंह पुत्र हरप्रसाद को धारा 190 भादसं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

13. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0